न्यायालय श्रीमान अध्यक्ष महोदय राजस्व मडल ग्वालियर कम्प भोपाल

R. 2858-PBR/15

1. अनिकेत आ. संतोष गद्रे निवासी इंदौर
2. श्री केदार आ. शिरीष गद्रे निवासी टिमरनी
3. शिरीष आ. सखाराम निवासी टिमरनी

..............................पुनरीक्षणकर्तागण

विरूद्ध

1. जर्नादन आ. भगवतराव गद्रे निवासी टिमरनी
2. प्रेमनारायण आ. परसराम किरार निवासी धौलपुर कला

..............................उत्तरवादीगण

<u>पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता</u>

माननीय आयुक्त महोदय नर्मदापुरम संभाग होशंगाबाद द्वारा राजस्व अपील प्र0 क0 117/अपील/13-14 में पारित आदेश दिनांक 13.8.15 जिसके द्वारा उत्तरवादीगण द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर निम्न न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी टिमरनी के प्रकरण क0 75 अ/70 वर्ष 2012-13 एवं तहसीलदार महोदय रहटगांव के रा.प्र.क. 9अ/70 वर्ष 2012-13 में पारित आदेश दिनांक 12.8.13 को निरस्त किया हे एवं प्रकरण पुनः जांच हेतु निम्न न्यायालय को प्रत्यावर्तित किया है से व्यथित होकर पुनरीक्षणकर्तागण यह पुनरीक्षण याचिका इस माननीय न्यायालय के समक्ष निम्न आधारो पर प्रस्तुत करते है-

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2858–पीबीआर/15 **जिला होशंगाबाद**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
29–10–2015	आवेदकगण की ओर से श्री दिवाकर दीक्षित अभिभाषक उपस्थित । ग्राह्यता पर सुना गया । आयुक्त के आदेश दिनांक 13–8–15 का अवलोकन किया गया । आयुक्त के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि उनके द्वारा प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया गया है, जो कि संहिता की धारा 49 में हुये संशोधन के विपरीत है, क्योंकि संहिता की धारा 49 में हुये संशोधन के फलस्वरूप अपीलीय प्राधिकारी को प्रकरण प्रत्यावर्तित करने की अधिकारिता नहीं है । अतः आयुक्त का आदेश निरस्त किया जाकर प्रकरण गुणदोष पर निराकरण करने हेतु प्रत्यावर्तित किया जाता है । (मनोज गोयल) अध्यक्ष	